(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 213/2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025/420**

1. रामनिवास पुत्र रिछपाल उम्र 69 साल जाति अहीर निवासी सांतोर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

...............प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पुत्र प्रभुदयाल
2. सुभाषचन्द पुत्र प्रतापसिंह
3. मुनेश देवी पत्नि जगदीश प्रसाद
4. मेवा पुत्री मेहरचन्द
5. रामावतार पुत्र मेहरचन्द
6. हनुमान सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद
7. हरनारायण पुत्र मेहरचन्द समस्त जाति अहीर निवासीगण सांतोर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचेरी कला बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..............अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत– धारा 136 नक्शा दुरूस्ति एल.आर.एक्ट

–:निर्णय:– **दिनांक:–**

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सांतोर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 263 के खसरा नम्बर 914/420 रकबा 0.23 हैक्टर के काश्तकार व खातेदार आवेदक व अनावेदक ... ग्राम सांतोर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 ... संख्या 56 के खसरा नंम्बर 915/420 रकबा 0.30 हैक्टर ... संख्या 3 लगायत 7 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा आवेदक व अना... सभी खातेदार अपने हिस्सा अनुसार बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक काबिज ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में जब खातेदारों द्वारा मूल खसरा नम्बर 420 रकबा 0.53 हैक्टर का विभाजन किया गया तो मूल खसरा नम्बर 420 के दो खसरा नम्बर 420/1 रकबा 0.23 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 420/2 रकबा 0.30 हैक्टर कायम किये गये। जब खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज किया गया तो जमाबन्दी में खातेदारी व रकबा सही दर्ज किया गया लेकिन नक्शा में तरमीम के समय नक्शा 0.23 हैक्टर रकबा की जगह 0.30 हैक्टर बना दिया गया तथा 0.30 हैक्टर की जगह 0.23 हैक्टर बना दिया गया है जो गलत है।

3. यह कि सम्वत 2074 में जब राजस्व रिकार्ड का सेग्रीगेशन हुआ तो खसरा नम्बर 420/1 व 420/2 के हाल खसरा नम्बर 914/420 व 915/420 कायम किये गये तथा नक्शा रकबा के अनुसार ना बनाया जाकर छोटा व बड़ा बना दिया गया है अर्थात आवेदक व अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 914/420 रकबा 0.23 हैक्टर रकबा का नक्शा बड़ा तथा अनावेदक से 3 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 915/420 रकबा 0.30 हैक्टर का नक्शा छोटा बनाया गया जो गलत है खातेदार / आवेदक अपने राजस्व रिकार्ड में अपनी खातेदारी भूमि खन. 914/420 रकबा 0.23 हैक्टर का रकबे अनुसार सही नक्शा दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4. यह कि आवेदक को अपने उक्त अशुद्ध नक्शे की जानकारी नहीं थी, आवेदक ने जब वर्तमान में अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए जमाबन्दी व नक्शा की नकल हल्का पटवारी से ली तो इस त्रुटि की जानकारी हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि का नक्शा गलत बना दिया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का नक्शा गलत बना देने से पैदा हुआ है इसलिए यह आवेदन पत्र अन्दर मियाद है।

6. यह कि आवेदन पत्र निर्धारीत 2/–रु कोर्ट फीस पर श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

7. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र संलग्न हैं आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड आवेदन पत्र के साथ पेश किया जा रहा है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

अत: आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम सांतोर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 –78 के [illegible] खसरा नम्बर 914/420 रकबा 0.23 हैक्टर तथा ग्राम सांतोर तहसील [illegible] भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 56 के [illegible] 0.30 हैक्टर का नक्शा रकबा अनुसार सही दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या:—213/2025
रामनिवास बनाम सुरेशचन्द्र आदि
निर्णय दिनांक:— 07.10.2025

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 508 दिनांक 26.06. 2025 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2505 दिनांक 16.07. 2025 के द्वारा 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया। सभी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से वकील प्रार्थीगण उपस्थित है किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 263, 230, 56 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 नक्शा ट्रेस किश्तवार पेश किए गए।

—::आदेश::—

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सांतोर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के खाता संख्या 263 के खसरा नंम्बर 914/420 रकबा 0.23 हैक्टर तथा ग्राम सांतोर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 915/420 रकबा 0.30 हैक्टर का नक्शा रकबा अनुसार सही दर्ज कर रिकार्ड दुरस्त कर तदानुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 2505 दिनांक 16.07. 2025 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक --------- को मेरे द्वारा लिखा जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना